कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक / एफ.( )2020–21 / प्रमुवस / एफसीए /

दिनांकः–

परिपत्र

प्रदेश में वन भूमि की न्यून उपलब्धता एवं प्रदेश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों का सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण किया जाना अत्यावश्यक हैं ताकि न्यूनतम आवश्यक वनभूमि ही गैर वानिकी कार्य के उपयोग में लाई जा सके। वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम के होते हैं, तथा उनमें भी ज्यादातर प्रस्ताव एक हैक्टेयर या एक हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के होते हैं। अतः वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रदेश में वन भूमि का कम से कम क्षेत्र गैर वानिकी गतिविधियों के उपयोग के लिये सुनिश्चित करने हेतु निम्न दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :

1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन प्राप्त होने वाले वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में पार्ट–II में सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित किये जाने वाले स्थल का निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तैयार की जाकर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाती हैं, परन्तु 40 हैक्टेयर से कम के क्षेत्रफल हेतु मुख्य वन संरक्षक स्तर से स्थल निरीक्षण अनिवार्य नही होने के कारण सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकगणों द्वारा उक्त प्रस्तावों में कार्यस्थल के निरीक्षण के बारे में भाग–III में कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। परन्तु चूंकि वर्तमान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 40 हैक्टेयर क्षेत्रफल से कम के होते हैं, तथा उनमें भी ज्यादातर प्रस्ताव एक हैक्टेयर या एक हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के होते है , यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि 40 हैक्टेयर से कम के प्रस्तावों में भी मुख्य वन संरक्षक स्तर द्वारा स्वयं स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर अपनी टिप्पणी व अभिशंसा भाग–III में की जावे । अतः यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्बन्धित उप वन संरक्षक के अतिरिक्त संबधित मुख्य वन संरक्षक भी, स्वतंत्र रूप से, प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव के भाग–III में अपनी टिप्पणी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे।

(2)

2. यह भी देखा गया है कि अनेक प्रकरणों में स्थल विशेष की विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा अतिरिक्त शर्त अथवा विशेष टिप्पणी भाग–II / भाग–III में उल्लेखित नही करते हैं जिससे उनका परीक्षण नही हो पाता और वे इस कार्यालय की अभिशंसा में सम्मिलित होने से रह जाते है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक स्थल विशेष की परिस्थिति अनुसार यदि कोई विशेष टिप्पणी/शर्त प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसका उल्लेख प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के भाग–II / भाग–III में स्पष्टता से सम्मिलित करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रत्यावर्तन प्रस्तावों में सम्मिलित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु Forest Conservation Rules-2003 के बिन्दु संख्या 2.8 (प्रति संलग्न) में उल्लेखित शर्तों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे, जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि (NFL)/ परिभ्राषित वन भूमि (DFL)में 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाया जाना सुनिश्चित करेंगे। **कार्यस्थल की परिस्थिति के कारण NFL में 1000 पौधे प्रति हैक्टेयर रोपण नहीं हो पाने की स्थिति में शेष पौधे किसी समीप के DFL में रोपित किये जावेंगे। इसी प्रकार चयनित DFL क्षेत्रफल में 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर नहीं लग पाने की स्थिति में शेष पौधो को अतिरिक्त DFL क्षेत्र चिन्हित कर लगाया जावेगा।** उल्लेखनीय है कि DFL हेतु 0.4 घनत्व से कम वाले वन क्षेत्र का ही चयन किया जावे। उपरोक्तानुसार ही **NFL/DFL** की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना एवं प्राक्कलन प्रस्ताव के सम्मिलित कर भिजवाये जावेगे।

4. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु NFL/DFL के प्राक्कलन तैयार करते समय कार्यस्थल की भौगोलिक स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे एवं **प्राक्कलन कार्य स्थल विशेष** (Site Specific) के अनुसार ही तैयार कर प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के साथ प्रेषित किये जावें एवं तदनुसार ही प्रयोक्ता **अभिकरण से राशि की मांग की जावे।**

5. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश की अनुपालना में चिन्हित डीम्ड फोरेस्ट श्रेणी की भूमियों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं एवं उस पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होता हैं। **अतः इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्बन्धित उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीन क्षेत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार डीम्ड फोरेस्ट/ओरण/बणी वाले क्षेत्र को भी सम्मिलित कर लिया गया हैं तथा सम्बन्धित उप वन संरक्षकगण/मुख्य वन**

संरक्षकगण स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (Site Inspection Report) में इसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना प्रत्येक प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। उक्त के अभाव में इस कार्यालय द्वारा प्रत्यावर्तन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

संलग्नः— उक्तानुसार।

कार्यालय उपवन संरक्षक ... 1234 30/3/2021 जयपुर (उत्तर)

भवदीया

(श्रुति शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

दिनांकः— 1.3.21

क्रमांक/एफ.( )2020—21/प्रमुवस/एफसीए/ 584-691

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वन, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण/मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव
6. समस्त उप वन संरक्षक प्रादेशिक/वन्यजीव अनुभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन
एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

वे/ FCA
21/03/2021

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः— एफ 5 ( )एफसीए/मुवसंज/2020/ 1540-45 दिनांकः— 26/03/2021

प्रतिलिपिः— उप वन संरक्षक जयपुर/जयपुर (उत्तर)/अलवर/दौसा/सीकर/झुंझुनूं को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ ( )2020—21/प्रमुवसं/एफसीए/584—691 दिनांक 01.03.2021 की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः—उक्तानुसार।

(के.सी. मीना)
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर, राजस्थान